बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः– रबी 2026–27 मौसम से राज्य में पुनः "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (PMFBY) लागू किये जाने के संबंध में।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में ह्रास की परिस्थिति में बीमित किसानों को कृषि लागत के समतुल्य क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।

साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अतंर्गत कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह को बनाए रखते हुए राज्य के किसानों को फसल उत्पादन में उच्च जोखिमों (High Risks) से सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

2. यह योजना वित्तीय वर्ष 2026–27 के रबी मौसम से प्रारंभ की जाएगी तथा इसे बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खरीफ एवं रबी मौसम में भी सतत रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 11019/01/2022-Cr. II (Part-I) (FTS-111875) दिनांक 06.11.2024 द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। योजना के संबंध में अद्यतन दिशा निर्देश निम्नवत है :–

(क) योजना का संचालनः– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन तथा संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) (www.pmfby.gov.in) विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सभी हितधारकों जैसे किसानों, राज्यों, बीमा धारकों तथा बैंकों के बीच बेहतर प्रशासन तथा समन्वयन के साथ–साथ अद्यतन सूचनाओं का प्रसार एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस समेकित पोर्टल के माध्यम से योजनान्तर्गत किसानों का आच्छादन, भूमि संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, उपज

दर आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्त्ति का आकलन तथा क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ख) **वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (Alternative Risk Management Mechanism):-** राज्य सरकारों को अपने भौगोलिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक उपज दर आंकड़ों के आधार पर Normal/Standard Model के अतिरिक्त वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली के तहत निम्न मॉडल में से किसी भी मॉडल को अंगीकृत करने की स्वतंत्रता दी गयी है :–

(i) **Cup & Cap 80-110** :– इस मॉडल में एक क्लस्टर में कुल प्रीमियम राशि का 80 से 110 प्रतिशत तक क्षतिपूर्त्ति का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है। क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान कुल प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में शेष राशि बीमा कम्पनी द्वारा वापस की जाएगी। कुल प्रीमियम राशि का 110 प्रतिशत से अधिक क्षतिपूर्त्ति राशि के भुगतान की स्थिति में किसानों को अतिरिक्त क्षतिपूर्त्ति राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ii) **Cup & Cap 60-130 :-** इस मॉडल में एक क्लस्टर में कुल प्रीमियम राशि का 60 से 130 प्रतिशत तक क्षतिपूर्त्ति का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है। कुल प्रीमियम राशि का 60 प्रतिशत से कम क्षतिपूर्त्ति राशि के भुगतान होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा शेष राशि राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समान रूप से वापस की जाएगी एवं 130 प्रतिशत से ज्यादा क्षतिपूर्त्ति राशि के भुगतान के स्थिति में इसका वहन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा समान रूप से किया जाएगा।

(iii) **Profit and Loss Sharing** :– इस मॉडल में बीमा कम्पनी कौ होने वाले लाभ–हानि में राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है।

(ग) **अतिरिक्त जोखिम कारक (Additional Risk factor) :-** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जोखिम

कारक के तहत फसल बोआई के पूर्व से लेकर फसल कटाई के उपरांत हुए क्षति की भरपाई के अतिरिक्त Mid season adversity/local calamities/Crop loss due to attack by wild animals इत्यादि के संबंध में राज्य सरकारों की अनिवार्यता नहीं होने के कारण राज्य सरकार राज्य की परिस्थितियों के दृष्टिगत Additional Risk factor को Add-on करने अथवा नहीं करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी। राज्य में किसी एक मॉडल को अंगीकृत करने के लिए State Level Coordination Committee on Crop Insurance (SLCCCI) सक्षम प्राधिकार होगा।

(घ) **तकनीक आधारित फसल कटनी प्रयोग का सम्पादन :–** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन Smart Sampling Technique के माध्यम से करने के साथ–साथ तकनीक आधारित (YES-Tech/WINDS - Technology Based Yield Estimation System/Weather Information and Network Data System) Yield Estimation /Loss Assessment करने का प्रावधान होने के कारण उपज दर आंकड़ों की Accuracy सुनिश्चित होगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उपज दर आकलन में 70% weightage फसल कटनी प्रयोगों तथा 30% weightage YES-TECH को दिया जा रहा है तथा राज्यों में YES-Tech/WINDS के प्रतिष्ठापन का कुल लागत का 80% व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

(ड.) **आच्छादन :–** ऋणी किसानों के लिए योजना को अनिवार्य बनाने के स्थान पर सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बीमा आच्छादन किया गया है। गैर रैयत श्रेणी के किसानों यथा–बटाईदारों/काश्तकारों के बीमा आच्छादन करने के संबंध में राज्य सरकार जिन दस्तावेजों के प्रयोग हेतु अधिसूचित करेगी उसके आधार पर गैर रैंयत श्रेणी के किसानों को बीमित किया जाएगा।

(च) **PMFBY Mobile App :-** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विकसित Crop Insurance App के माध्यम से भी इच्छुक किसान स्वतंत्र रूप से अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।

(छ) **प्रीमियम** :– खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक/बागबानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम क्रमशः 2%, 1.5% एवं 5% निर्धारित है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम एवं बीमा प्रभारों की दर (निविदा के माध्यम से) के बीच अंतर समान रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ज) **थ्रेसहोल्ड उपज दर की गणना** :– थ्रेसहोल्ड उपज दर के संशोधित सूत्र (Formula) के अनुसार थ्रेसहोल्ड उपज दर विगत सात (07) वर्षों में से पांच (05) उच्च उपज दर वाले वर्षों का औसत एवं इन्डेम्निटी (70–80–90 प्रतिशत) का गुणनफल होगा।

(झ) **बीमा कम्पनियों का चयन** :– बीमा कम्पनियों का चयन सहकारिता विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से किया जाएगा। इस अवधि में बीमा कम्पनियों के द्वारा योजना के दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल कार्य किए जाने पर उनके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

(ञ) **कार्यान्वयन की समय सारणी** :–

खरीफ मौसम हेतु– 01 अप्रैल एवं

रबी मौसम हेतु– 01 अक्टूबर से योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसके पूर्व National Crop Insurance Portal (NCIP) पर डाटा को अपलोड करना एवं निविदा के माध्यम से बीमा कम्पनियों का चयन करते हुए अधिसूचित किया जाएगा।

राज्यों को स्वतंत्रता है कि अपने राज्य के फसल चक्र के अनुसार इसके कार्यान्वयन हेतु Activitywise समय–सारणी निर्धारित कर सकती है। तदनुसार सहकारिता विभाग द्वारा समय–सारणी का निर्धारण किया जाएगा।

(ट) **Fund Flow** :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्यों के प्रीमियम अनुदान का समय पर भुगतान एवं वित्तीय अनुशासन का पालन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को 50 प्रतिशत प्रीमियम राज्यांश की राशि को अग्रिम के रूप में Escrow Account में रखना आवश्यक है। यह Escrow Account राज्य द्वारा किसी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक में खोला जाएगा एवं इसका संचालन संयुक्त रूप से राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा किया

जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रीमियम केन्द्रांश राशि का भुगतान Escrow Account के माध्यम से कार्यभारित बीमा कम्पनी को किया जाएगा।

(ठ) **योजना का अनुश्रवण** :– भारत सरकार के स्तर पर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित **National Level Monitering Committee (NLMC)** योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम प्राधिकार है।

राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI)** गठित की जाती है। उक्त कमिटी के अन्य सदस्यगण निम्नरूपेण होंगे :–

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग।

(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव कृषि विभाग।

(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव योजना एवं विकास विभाग।

(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव आपदा प्रबंधन विभाग।

(v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

(vi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सहकारिता विभाग।

(vii) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना। सदस्य–सह–संयोजक

(viii) निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार; पटना।

(ix) निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), बिहार।

(x) निदेशक, बिहार रिमोट सेन्सिंग केन्द्र; बिहार, पटना।

(xi) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार; पटना।

(xii) राज्य संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार; पटना।

(xiii) क्षेत्रीय निदेशक, एग्रीकल्चर बीमा कम्पनी (AIC), पटना तथा अन्य क्षेत्रीय निदेशक, चयनित बीमा कम्पनी।

(xiv) अध्यक्ष बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना–सह–किसान प्रतिनिधि।

(xv) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना, होंगे।

राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित भारत सरकार के अद्यतन परिचालन दिशा निर्देशों के आलोक में सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निर्णय एवं राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकार होगी।

(ड) **शिकायत निवारण प्रणाली** :– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर सभी आवश्यक संसाधनों के साथ **मजबूत शिकायत निवारण तंत्र** गठित किया जाएगा जो सभी हितधारकों विशेषकर बीमित किसानों से प्राप्त शिकायतों का निवारण करेगा।

जिला स्तर पर शिकायतों के निवारण हेतु एक नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाएगा जो शिकायतों के अभिलेखन एवं उसके प्रत्युत्तर के संबंध में जिम्मेवार होंगे।

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिकायत निवारण कमिटी (DGRC- District Grievance Redressal Committee) का गठन किया जाएगा जो अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी।

राज्य स्तर पर शिकायतों के निवारण हेतु सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति** का गठन किया जाएगा।

(ढ) **कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन (KRPH)** :– भारत सरकार के स्तर पर केन्द्रीकृत एवं समर्पित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन (टॉल–फ्री) अधिष्ठापित किया गया है जो किसानों के किसी भी प्रश्न का समाधान एवं शिकायतों के निवारण हेतु कार्य करेगी।

(ण) **SPMU (State Program Management Unit) का गठन** :– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार के स्तर पर Central Program Management Unit (CPMU) गठित है। इसी आधार पर

राज्य में योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु SPMU का गठन किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत **वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (Alternative Risk Management Mechanism)** के विभिन्न मॉडल में से किसी एक मॉडल का चयन, क्लस्टर का निर्धारण, इन्डेम्निटी स्तर का निर्धारण, YES Tech /WINDS का क्रियान्वयन, Mid Season Adversity/Local Calamity की आवश्यकता इत्यादि के संबंध में निर्णय विभाग द्वारा विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित **राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI)** की स्वीकृति से की जाएगी।

विभाग द्वारा बीमित किसानों की संख्या, बीमित क्षेत्रफल एवं बीमित राशि के आधार पर प्रीमियम राज्यांश राशि का आकलन किया जाएगा एवं संबंधित शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध से प्रीमियम राज्यांश राशि स्वीकृत करते हुए निकासी एवं व्यय की जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्य में YES Tech / WINDS के अधिष्ठापन में लगने वाला राज्यांश व्यय एवं राज्य प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई (SPMU) के पारिश्रमिक व्यय का वहन विभाग द्वारा योजना के प्रशासनिक व्यय से किया जाएगा।

5. राज्य मंत्रिपरिषद के दिनांक 08.06.2026 की बैठक में मद सं0– 18 के रूप में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(धर्मेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 5949 / पटना, दिनांक 10.06.2026

नि०(फ०)–16 / 01 / 2024 –प्रशाखा–09–RCS (347807)

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 5949 / पटना, दिनांक 10.06.2026

नि०(फ०)–16/01/2024 –प्रशाखा–09–RCS (347807)

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–सह–संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार; पटना/निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), बिहार/निदेशक, बिहार रिमोट सेन्सिंग केन्द्र; बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार; पटना/राज्य संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार; पटना/क्षेत्रीय निदेशक, एग्रीकल्चर बीमा कम्पनी (AIC), पटना/अध्यक्ष बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना–सह–किसान प्रतिनिधि/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/ सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 5949 / पटना, दिनांक 10.06.2026

नि०(फ०)–16/01/2024 –प्रशाखा–09–RCS (347807)

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 5949 / पटना, दिनांक 10.06.2026

नि०(फ०)–16/01/2024 –प्रशाखा–09–RCS (347807)

प्रतिलिपिः-- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि 20 मुद्रित प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे/उप सचिव (ई–गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना /विभागीय आई0टी0 मैनेजर को इस आशय से प्रेषित की विभागीय बेबसाईट पर संकल्प की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के सचिव।